न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 74/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. चेनाराम पुत्र मगाराम जाति बावरी निवासी— चण्डावल नगर तहसील— सोजत, जिला— पाली।		01. पदम सिंह पुत्र भीम सिंह 02. सीता देवी पत्नी भीम सिंह 03. बाबुलाल पुत्र मांगीलाल जातियान बावरी निवासीयान— बावरी, निवासीयान— चण्डावल नगर, तहसील सोजत, जिला— पाली। 04. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक 04/10/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल नगर तहसील— सोजत में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 2017, 2298 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा नंबर 2298 रकबा 0.5200 हैक्टर की भूमि को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 2298 रकबा 0.5200 हैक्टर के पडौस में ही अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन की भूमि के खसरा नंबर 2297 रकबा 1.2800 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भुमि के खसरा नंबर 2298 व अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन की कृषि भूमियों के खसरा नंबर 2297 के बीच स्थित माठों एवं सीमाओं एवं धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उपन्न हो रहे हैं । मौके पर माठों एवं सीमाओं के विवाद को लेकर आपसी मन मुटाव व विवाद होते रहते है। अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन प्रार्थी की उक्त भूमि में अनावश्यक कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करते हैं। प्रार्थी को काश्त करने में भी सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करे रहे है। मौके पर हर समय सीमा एवं माठ को लेकर भारी विवाद रहता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 03 के मध्य माठ, सीमाओं की वजह से कारण हर समय विवाद होने की संभावना होने पर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के खसरा नंबर 2298 के सीमांकन एवं पैमाईश हेतु आवेदन तहसीलदार सोजत के समक्ष दिनांक 09.06.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी ग्राम चण्डावल को उक्त संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। जिस पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट में मौके पर सीमाओं पर विवाद होने के कारण सीमांकन नहीं किया गया और अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन द्वारा मौके पर प्रार्थी से सीमाज्ञान/पत्थरगड्डी के अभाव में लगातार विवाद कर रहे है जिस हेतु प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मौके पर मुटाम लगवाकर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है तथा वर्तमान में प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि के संबंध में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जल स्त्रोत हेतु भी आवेदन किया जिसमें भी तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2023 को मिट्टी परिवर्तन की अनुमति दी गई तथा सहायक निर्देशक उधोग पाली द्वारा भी प्रशासनिक स्वीकृतियां पारित की गई जिसमें भी प्रार्थी की जल सामुदायिक जल स्त्रोत निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें भी अप्रार्थी द्वारा मौके पर विवाद उत्पन्न कर प्रार्थी को क्षति पहुंचाने की नियत से माठों एवं सीमाओं को लेकर अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उपन्न कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 को कई बार अपनी अपनी कृषि भूमि का मौके पर सीमांकन करने हेतु मौखिक निवेदन किया गया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को मना कर दिया। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल नगर तहसील– सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 2298 रकबा 0.5200 हैक्टर के पड़ौस में ही अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन की भूमि के खसरा नंबर 2297 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगड्डी के जरिए मुटाम लगवाए जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। बार–बार अवसर दिए जाने के वावजूद अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किए जाने पर जवाव प्रार्थना पत्र आज वंद किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल नगर तहसील– सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 2298 रकबा 0.5200 हैक्टर के पड़ौस में ही अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन की भूमि के खसरा नंबर 2297 रकबा 1.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2297/2595 रकबा 0.6000 हैक्टर भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगड्डी के जरिए मुटाम लगवाऐ जाने की ईस्तदुआ की है। बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मौके पर कोई विवाद नही है। माठ व सीमा सही जगह पर हैं। केवल हैरान व परेशान करने की नियम से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीत भूमि में सीमाओं को लेकर उभय पक्षों में विवाद है। जिससे मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी के जरिये मुटाम कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर पटवार हल्का चण्डावल नगर तहसील– सोजत में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2298 रकबा 0.5200 हैक्टर खसरा नंबर 2297 रकबा 1.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2297/2595 रकबा 0.6000 हैक्टर भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके प्रार्थी की कृषि भूमि में पत्थरगड्डी के जरिए मुटाम लगवाये जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षों की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2298 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा नंबर 2297 रकबा 1.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 2297/2595 रकबा 0.6000 हैक्टर कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 04/10/23 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली